न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
383/2022/प्रार्थना पत्र	2023/482	31.08.2022	03.12.2025

अनवान

1– धन्नालाल पिता सुखदेव गुसाई निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1– मु. कमला पुत्री शम्भुगिरी गुसाई निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– मु. प्रेम पुत्री शम्भुगिरी गुसाई निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– मदनलाल पुत्र शम्भुगिरी गुसाई निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– रामलाल पुत्र शम्भु गिरी गुसाई निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– मु. समोकदेवी पत्नी श्रीराम कुमावत निवासी बीलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –	श्री त्रिलोकचंद नौलाखा	– अभिभाषक प्रार्थी
	विपक्षीगण सं0 1, 5	– एकतरफा कार्यवाही
	श्री रामप्रसाद जाट	– विपक्षीगण सं0 2 से 4 जवाब बदं
	विपक्षीगण सं0 6	– पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीलिया पटवार हल्का बीलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 102 में आराजी नम्बर 393, 394, 395, 403 व 404 प्रार्थी के खातेदारी अधिकार में दर्ज रेकार्ड होकर प्रार्थी के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजियात पर पहुंचने हेतु आराजी नम्बर 458/1387 गै.मु. सड़क के बदिशा उत्तर में स्थित विपक्षीगण नं. 01 लगायत 05 की आराजियात नं. 406, 405 की पूर्वी मेर व आराजियात नं. 401, 402 की पश्चिमी मेर यानि उक्त आराजियात के मध्य की मेर पर बदिशा उत्तर की तरफ बढ़ते हुए प्रार्थी अपनी आराजी सं. 403 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर पहुंचता है। उपरोक्त रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर पहुंचने के लिये एक मात्र रास्ता है। इसी रास्ते का उपयोग प्रार्थी अपनी आराजियात की देखरेख, हंकाई, फसल अवेरने–सवेरने हेतु कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु करता चला आ रहा है। परन्तु यह रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी की आराजियात एवं विपक्षीगणों की आराजियात तथा गे.मु. रास्ता राजस्व नक्शे के दक्षिणी पूर्वी कोने सरहद पर होकर दिशा भ्रम होने से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता नजरी नक्शे में दर्शित कर संलग्न किया जा रहा है, जो प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे। प्रार्थी के पास उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता स्वयं की आराजियात पर पहुंचने के लिए राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है एवं न ही मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण नं. 01 लगायत 05 के द्वारा उक्त रास्ते पर कांटों की बाड़ लगाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया व उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने के लिए प्रार्थी को मना कर दिया। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपनी आराजियात का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर पहुंचने हेतु एक मात्र रास्ता है। प्रार्थी को अन्य वैकल्पिक रास्तों की अनुपलब्धता के कारण इस रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता ही लघुतम रास्ता है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी का अपनी आराजियात पर पहुंचना एवं अन्य आराजियात को काश्त किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णितनुसार 15 फीट चौड़ा रास्ता नियमानुसार राशि जमा कर दिलाये जाने का आदेश बक्षावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

विपक्षीगण सं. 01 व 05 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4 द्वारा दिनांक 07.05.2024 को जरिये अभिभाषक श्री रामप्रसाद जाट द्वारा अपनी उपस्थिति दी जाकर अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाकर जवाब हेतु अवसर चाहा। किन्तु जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 08.10.2025 को विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4 का जवाब बंद किया गया।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में प्राप्त भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा की मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थी बिलानाम आराजी नम्बा 458/1387 गे.मु. रास्ता से अपनी आराजी में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 405, 406 की पूर्वी मेर तथा आराजी नम्बर 401, 402 की पश्चिमी मेर से राजस्व नक्शे में अंकित मेर को आधार मानकर मांगा गया है। लेकिन उक्त आराजी नम्बर 401, 402, 405, 406 के खातेदार समान होने से मैके पर बंटवारा कर नई मेर बना दी गई है। उक्त नई मेर मौके पर आरजी नम्बर 405 व 406 के पूर्वी हिस्से निकलने के कारणा रास्ता आराजी नम्बर 405, 406 में से नहीं मेर से प्रस्तावित किया गया है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता होना बताया है। साथ ही मार्ग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए मांगा जाना नहीं बताया है। अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना भी बताया गया है।

इस प्रकार भू0अ0निरीक्षक द्वारा ग्राम बिलिया पटवार हल्का बिलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण की खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 405 रकबा 0.61 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0360 हैक्टेयर(80 मीटर गुणा 4.5 मीटर/360 वर्ग मीटर), आराजी नम्बर 406 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता हेतु 0.0171 हैक्टेयर(38 मीटर गुणा 4.5 मीटर/171 वर्ग मीटर) इस प्रकार नवीन रास्ता हेतु कुल किता 2 रकबा 0.0531 हैक्टेयर(531 वर्ग मीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है किः—

प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। एवं रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है किः—

1. प्रार्थी को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक होकर प्रार्थी ने अपने सुविधाजनक उपयोग के लिए रास्ते की मांग नहीं की है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा(राज.)

2. प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

1. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव अनुसार इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम बिलिया पटवार हल्का बिलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण की खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 405 रकबा 0.61 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0360 हैक्टेयर(80 मीटर गुणा 4.5 मीटर/360 वर्ग मीटर), आराजी नम्बर 406 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता हेतु 0.0171 हैक्टेयर(38 मीटर गुणा 4.5 मीटर/171 वर्ग मीटर) इस प्रकार नवीन रास्ता हेतु कुल किता 2 रकबा 0.0531 हैक्टेयर(531 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि संबंधित अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0360 है0 को आराजी नम्बर 405 रकबा 0.61 हैक्टेयर में से एवं 0.0171 है0 को आराजी नम्बर 406 रकबा 0.16 है0 में से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 03.12.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा